

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 57/प्र0अ0(10र0-2)/जोन-2/2014-15 दिनांक /12/2014

अनुमति-पत्र


01-01-2015

यह अनुमति 0990 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ चक्र में लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्लानिंग के अन्तर्गत में जिस पर आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इतरका स्थानीय अधिकारी या अधिकृत अधिकारियों के अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के अधिकार या अधिकारों के अतिक्रमण के लिये प्रमाण नहीं रखेगी।


श्री प्रेम चन्द्र केशरवानी एवं श्रीमती रानी केशरवानी द्वारा मकान नं0 21ए/21ए चक्र बन्द गिजा रोड (डी. रोड) इलाहाबाद (क्षेत्रफल 142.44 वर्गमीटर) पर जोन संख्या (2) के अन्तर्गत इच्छित आवासीय भवन मानचित्र के रूप में निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अंदाज की जाती है -

1. स्थल पर 40X2 फिट का एक बौद्ध जगन्नाथ प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करण अनिवार्य होगा, जिसमें एंजिनेयर/इन्जीनियर के नाम का नाम भी अंकित रहे।
2. स्थल पर 01 अक्षर पूरा लगाने होने तथा सभी को इस भवन रखने का दायित्व अत्यधिक का होगा।
3. स्थल का अधिनियम/संशोधन एकात्मक आयोजन प्रयोजन हेतु ही किया जाय अन्तर्गत की स्थिति में मानचित्र निरस्त किया जाने योग्य होगा।
4. स्थल पर मीटर पुराने निर्माण को सुधार इन्जीनियर की देख-रेख में करवा कराना होगा तथा वह पुनर्निश्चित किया जाय कि किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि न होने पाये।
5. मानचित्र न्यायालय में कोई गड़बड़ होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृति मानचित्र न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति मू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। मू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद स्थान न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है।
6. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई सुझाव अर्पित करता है तो उसे पक्ष को मानना होगा।
7. यदि आवेदन दत्त कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी नहीं है अथवा महत्व सूचना तो नहीं है तो 0990 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
8. यह स्वीकृत पत्र केवल पौन वर्ग की अवधि के लिए है।
9. मकान निर्माण से यदि नाली का सड़क को पहले अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण हरा गई हो) को हानि पहुंचे तो सूचना देना तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और स्पष्ट कला तो पहले हो उसे अनेक उपाय से परामर्श कराकर पूर्णतः अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को संतोष हो जाय, में कर देना।
10. मू-निर्माण के सन्दर्भ इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इलेक्ट्रिक इन्फ्रेस्ट्रक्चर कानून 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदक को निम्नानुसार विचार प्राधिकरण को मकान की गौर तक तथा छत तक बना जाने एवं उसके पूरा हो जाने की सूचना नकल आशय होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदेश का नाम भी देना होगा जिसके निर्देशन में मकान निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में नगरपालिका का उत्पन्न होना था या था तो निर्माणकर्ता को ही गई स्वीकृति एवं सम्झौता, जमायेगी और किता मकान निर्माण अतिरिक्त पौन वर्ग अन्तर्गत अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


 01/01/2015
 (पुंकर श्रीवास्तव)
 जमाये अधिकारी (10990-2)


GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



TERRACE PLAN



23 MT FOUNDATION DETAIL



SITE PLAN

सभी मालिक/मिशनर करवियर है। पूर्ण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही इस जलिन का वास्तविक प्रमाणित किया जा लेंगा।
Date: 01/11/2015




- 1-TOTAL PLOT AREA = 142.44 Sqmt.
- 2-COVERED AREA ON G.F = 92.40 Sqmt. (64.87%)
- 3-COVERED AREA ON F.F = 92.40 Sqmt. (64.87%)
- 4-COVERED AREA ON S.F = 64.00 Sqmt. (44.92%)
- 5-OPEN AREA ON G.F = 50.00 Sqmt.
- 6-MUMTY AREA = 9.82 Sqmt.
- 7-ACHIEVED F.A.R = 1.74
- 8-PROVIDE CAR PARKING = 1.0 NOS.



FRONT ELEVATION



SECTION AT-A-B



SECTION OF STAIR

It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021 / Zonal Plan and Bhavan Upditi 2012

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF PART OF FREE HOLD PLOT NO-11 AND HOUSE NO.21/21 CHARUCHANDRA MITRA ROAD (D ROAD) ALLD.

OWNER :-

SCALE 1:100

- SRI. PREM CHANDRA KESARIWANI
- S/O LATE MISHRI LAL KESARIWANI
- SMT. RANI KESARIWANI
- W/O SRI. PREM CHANDRA KESARIWANI

[Signature]
F. V. K. Mishra
9 Tech. Grid
844-149702-0
99-149702-0
99-149702-0
99-149702-0
99-149702-0
99-149702-0

SIG. OF OWNER

SIG. OF ENG.